

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

### प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287] No. 287] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2017/कार्तिक 16, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2017/KARTIKA 16, 1939

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(स्थापना स्कंध)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2017

# विषय: दूरसंचार विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों में 'विभाग के प्रमुख' की घोषणा करना।

**फा. सं. 1-50(13)/2017-स्था.**—यह अधिसूचना दिनांक 23.02.2017 को जारी अधिसूचना संख्या 9-5(1)/2016-स्थापना द्वारा दूरसंचार विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों के पुनर्गठन के सदर्भ में है।

- 2. GFR 2017 के नियम 2 (xviii), P&T FHB खंड-। के नियम 2(ज), SR 2(10) एवं इसके तहत GIO, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 3(k) तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली के नियम 2(i) के अनुसार महानिदेशक (दूरसंचार), लाइसेंस सेवा क्षेत्रों / दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र / राष्ट्रीय दूरसंचार नीति शोध, नवप्रवर्तन एवं प्रशिक्षण संस्थान (NTIPRIT) संस्थान के सलाहकार/विष्ठ उप महानिदेशक और अनुबंध-। में यथा उल्लेखित पदों पर पदस्थ अधिकारियों को 'विभाग के प्रमुख' के रूप में घोषित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन एतद्द्वारा संप्रेषित किया जाता है।
- 3. 'विभाग के प्रमुख' के रूप में शक्तियों का प्रयोग, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के बारे में पहले से जारी अनुदेशों और समय-समय पर यथासंशोधित तथा ऊपर उल्लिखित नियम पुस्तिकाओं/ कोड पुस्तकों में निर्धारित शर्तों के मद्देनजर किया जाएगा।

6580 GI/2017 (1)

4. इसे दूरसंचार विभाग के एकीकृत वित्त अनुभाग की सहमति से जारी किया गया है।

हिन्दी अनुवाद के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर अंग्रेजी पाठ वैध होगा।

अनुलग्नक: उपर्युक्त अनुसार

वंदना सेठी, निदेशक (स्थापना)

अनुबंध-1

महानिदेशक (दूरसंचार) और लाइसेंस सेवा क्षेत्रों (LSA) / दूरसंचार अभियंत्रिकी केन्द्र (TEC) / राष्ट्रीय दूरसंचार नीति शोध, नवप्रवर्तन एवं प्रशिक्षण संस्थान (NTIPRIT) संस्थान के सलाहकार /वरिष्ठ उप महानिदेशक के अतिरिक्त 'विभाग के प्रमुख' के रूप में घोषित अधिकारी

- 1. उप महानिदेशक (सी), उत्तराखंड
- 2. उप महानिदेशक (सी), छत्तीसगढ़
- 3. उप महानिदेशक (सी),तेलंगाना
- 4. उप महानिदेशक (सी), झारखंड
- 5. उप महानिदेशक (सी), कोयम्बटूर
- 6. उप महानिदेशक (सी), हैदराबाद
- 7. उप महानिदेशक (सी), पुणे
- 8. उप महानिदेशक (रेलवे विद्युतिकरण)
- 9. उप महानिदेशक (चंडीगढ़)
- 10. उप महानिदेशक (गोवा)
- 11. उप महानिदेशक (अंडमान एवं निकोबार)
- 12. उप महानिदेशक (सिक्किम)
- 13. उप महानिदेशक (अरुणाचल प्रदेश)
- 14. उप महानिदेशक (मणिपुर)
- 15. उप महानिदेशक (मिज़ोरम)
- 16. उप महानिदेशक (त्रिपुरा)
- 17. उप महानिदेशक (नागालैंड)

### MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunication)

(ESTABLISHMENT WING)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th November, 2017

Subject: Declaration of Head of Department in the Field Units of Department of Telecommunication

**F. No. 1-50(13)/2017-Estt.**—This refers restructuring of field units in Department of Telecommunication issued vide notification no. 9-5(1)/2016-Estt dated 23.02.2017.

- 2. Approval of the competent authority is hereby conveyed to declare the Director General (Telecom), Advisors/ Sr DDGs in the LSAs/ TEC/ NTIPRIT and the officers occupying the posts as indicated in Annex-I as 'Head of the Department' under Rule 2(xviii) of GFR 2017, Rule 2(h) of P&T FHB Vol. I, SR-2 (10) & GIO there under, Rule 3(k) of CCS Pension Rules and Rule 2(i) of CCS (CCA) Rules.
- 3. The exercise of powers as 'Head of the Department' will be subject to the conditions as laid down in the Manuals/Code books as stated above and as amended from time to time and the instructions already issued relating to financial as well as administrative powers.
- 4. This issues with the concurrence of Integrated Finance of this Department.

Encl: As above

VANDANA SETHI, Director (Establishment)

Annex-I

Officers declared as Head of Department in addition to Director General (Telecom) and Advisors/ Sr DDGs in the Licensed Service Areas (LSAs) / Telecom Engineering Centre (TEC) / National Telecom Institute for Policy Research, Innovation & Training (NTIPRIT)

- 1. Deputy Director General (C), Uttarakhand
- 2. Deputy Director General (C), Chhatisgarh
- 3. Deputy Director General (C), Telangana
- 4. Deputy Director General (C), Jharkhand
- 5. Deputy Director General (C), Coimbatore
- 6. Deputy Director General (C), Hyderabad
- 7. Deputy Director General (C), Pune
- 8. Deputy Director General (Railway Electrification)
- 9. Deputy Director General (Chandigarh)
- 10. Deputy Director General (Goa)
- 11. Deputy Director General (A&N)
- 12. Deputy Director General (Sikkim)
- 13. Deputy Director General (Arunachal Pradesh)
- 14. Deputy Director General (Manipur)
- 15. Deputy Director General (Mizoram)
- 16. Deputy Director General (Tripura)
- 17. Deputy Director General (Nagaland)